

अनुक्रमाणिका

1	परिभाषाएं
2	पात्रता
3	खातों के प्रकार
4	निवासी/ अनिवासी के साथ संयुक्त खाता
5	अनुमत जमा/ नामे
6	परिसंपत्तियों का प्रेषण
7	भारत के दौरे पर गैर भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक
8	खाताधारकों और तीसरी पार्टियों को प्राधिकृत व्यापारी/ बैंक द्वारा ऋण/ओवरड्राफ्ट की स्वीकृति
9	खाताधारक के निवासी हैसियत में परिवर्तन-निवासी से अनिवासी
10	उधारकर्ता के निवासी हैसियत में परिवर्तन की स्थिति में ऋण/ ओवरड्राफ्ट की प्रक्रिया
11	अनिवासी/ निवासी नामिती को निधियों का भुगतान
12	पावर ऑफ एटर्नी धारक द्वारा अनिवासी सामान्य रूपया खाते का परिचालन
13	अध्ययन के लिए विदेश जानेवाले व्यक्ति को दी जानेवाली सुविधाएं
14	अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्स
15	आयकर
अनुलग्नक-1	
नोट	

1. परिभाषाएं	<p>अनिवासी भारतीय: इस प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय को मई 3, 2000 की फेमा अधिसूचना सं, 5 के विनियम 2 में परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार एक अनिवासी भारतीय, भारत के बाहर निवास करनेवाला एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का एक व्यक्ति है।</p> <p>भारतीय मूल का व्यक्ति : इस प्रयोजन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषा वही फेमा के विनियम 2 में परिभाषित है, जिसके अनुसार बांग्ला देश अथवा पाकिस्तान से इतर किसी देश के नागरिक के रूप में यदि (क) उसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था; अथवा (ख) वह अथवा उसके माता-पिता दोनों अथवा उसके दादा-दादी, नाना-नानी में से कोई एक भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955(1955 का 57) के नाते भारतीय नागरिक थे; अथवा (ग) वह किसी भारतीय नागरिक का पति/पत्नी है अथवा उपखंड (क) अथवा (ख) में उल्लिखित व्यक्ति है।</p>
2. पत्रता	<p>(क) भारत के बाहर रहनेवाला कोई व्यक्ति (फेमा के विनियम 2 के अनुसार) फेमा के प्रावधानों उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों के उल्लंघन में शामिल न होते हुए रुपया मूल्यवर्ग में वास्तविक लेनदेन को पूरा करने हेतु किसी प्राधिकृत व्यापारी या प्राधिकृत बैंक के साथ एनआरओ खाता खोल सकता है।</p> <p>(ख) बांग्लादेश/ पाकिस्तान की राष्ट्रीयता/ स्वामित्व वाले व्यक्तियों/ कंपनियों द्वारा खाता खोलने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है।</p>
3. खातों के प्रकार	<p>चालू, बचत, आवर्ती या सावधि जमा के रूप में एनआरओ खाते खोले/ रखे जा सकते हैं। इन खातों पर लागू ब्याज दर और इन खातों को खोलने, परिचालित करने और बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेश/ अनुदेशों के अनुसार होने चाहिए।</p>

4. निवासी/अनिवासी के साथ संयुक्त खाता	खाते निवासी और/ या अनिवासी के साथ संयुक्त रूप से रखे जा सकते हैं ।
5. अनुमत जमा/नामे	<p>(अ) जमा (i) विदेशी मुद्रा में सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त प्रेषण आय, जो मुक्त रूप में परिवर्तनीय है ।</p> <p>(ii) खाता धारक के अस्थायी भारत दौरे के दरम्यान उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी विदेशी मुद्रा, जो मुक्त रूप में परिवर्तनीय है। नकद रूप में 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक या इसके समतुल्य राशि के साथ करेंसी घोषणा फार्म होना चाहिए। भारत के बाहर से लाई गई निधियों को दशनिवाली रूपया निधियों के साथ नकदी प्रमाणपत्र होना चाहिए।</p> <p>(iii) अनिवासी बैंकों के रूपया खातों से अंतरण।</p> <p>(iv) खाता धारक के भारत में उचित प्राप्य। इसमें किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज जैसे चालू आय के साथ-साथ रूपया/ विदेशी मुद्रा निधियों में से या वसीयत/ विरासत में अधिगृहीत अचल संपत्ति सहित परिसंपत्तियों की बिक्री आय भी शामिल है।</p> <p>(आ) नामे (i) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों के अनुपालन की शर्त पर भारत में निवेश के लिए भुगतान सहित रूपयों में सभी स्थानीय भुगतान।</p> <p>(ii) खाता धारक के भारत में किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज जैसे चालू आय का भारत के बाहर प्रेषण।</p> <p>(iii) प्राधिकृत व्यापारी की संतुष्टि पर सभी वास्तविक प्रयोजनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष(अप्रैल-मार्च) एक मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रेषण।</p>
6. परिसंपत्तियों का प्रेषण	<p>6.1 गैर भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक द्वारा परिसंपत्तियों का प्रेषण</p> <p>विदेशी राज्य का एक नागरिक, जो नेपाल, भूटान अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं है, जो भारत में नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ है अथवा फेमा की धारा 6 की उपधारा(5) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से विरासत में परिसंपत्ति प्राप्त की है; अथवा भारत के बाहर निवास करने वाली विधवा है और जिसे अपने मृत पति से, जो</p>

	<p>भारत में निवासी भारतीय नागरिक था, विरासत में संपत्ति मिली है, प्रेषणकर्ता द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण, विरासत अथवा पैत्रिक रूप से प्राप्त होने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों और अक्तूबर 09, 2002 के प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्रति वित्तीय वर्ष में 1,000,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) की राशि भेज सकते हैं।</p>
	<p>6.2 अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा परिसंपत्तियों का प्रेषण</p> <p>(क) अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति अनिवासी सामान्य रूपया खाते में शेष राशि / परिसंपत्तियों/ विरासत /पैत्रिक रूप में उसके द्वारा भारत में अधिगृहीत परिसंपत्तियों की बिक्री आय में से प्रेषण कर्ता द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण ,विरासत अथवा पैत्रिक रूप से प्राप्त होने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों और अक्तूबर 9,2002 के प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के परिपत्र सं10 /2002द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचन पत्र और सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्रति वित्तीय वर्ष 1,000,000 अमरीकी डालर तक की राशि का प्रेषण कर सकते हैं।</p> <p>(ख)अनिवासी/ भारतीय मूल के व्यक्ति उपर बताए गए 1 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अंदर अपने माता-पिता अथवा निकट संबंधी (कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित)और हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु पर प्रभावी हस्तांतरण द्वारा किए गए हस्तांतरण विलेख के तहत अधिगृहीत परिसंपत्तियों की बिक्री आय का प्रेषण, हस्तांतरण के मूल विलेख और अक्तूबर 9,2002 के प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के परिपत्र सं.10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचन पत्र और सनदी लेखाकार द्वारा एक प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर कर सकते हैं।</p>

	<p>6.3 रुपया मुद्रा निधि में से भारत में अधिगृहीत परिसंपत्ति</p> <p>अनिवासी/ भारतीय मूल के व्यक्ति निवासी के रूप में अथवा अनिवासी/भारतीय मूल के रूप में रुपया निधियों में से उसके द्वारा खरीदी गई अचल संपत्ति की बिक्री आय का प्रेषण प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर की उपर्युक्त सीमा के अधीन बगैर समयबंदी (लॉक-इन) अवधि कर सकते हैं।</p>
	<p>6.4 प्रतिबंध</p> <p>(क) अचल संपत्ति की बिक्री आय की प्रेषण सुविधा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, इरान, नेपाल और भूटान के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री आय की प्रेषण सुविधा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।</p>
7.भारत के दौरे पर गैर भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक	भारत का दौरा करनेवाले गैर भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत के बाहर से भेजी गई निधियों अथवा उसके द्वारा भारत लाए गए विदेशी मुद्रा की बिक्री आय से अनिवासी सामान्य खाता (चालू/ बचत) खोल सकता है। खाताधारक के भारत से प्रस्थान के समय खाताधारक के भुगतान के लिए प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी सामान्य खाते के शेष को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दे बशर्ते खाता छः महीने की अधिकतम अवधि तक परिचालित किया गया है तथा खाते में उस पर उपचित ब्याज से इतर किसी स्थानीय निधि को जमा नहीं किया गया है।
8.प्राधिकृत व्यापारियों/ बैंक द्वारा खाताधारकों और तीसरी पार्टीयों को ऋण/ ओवरड्राफ्ट प्रदान करना	<p>(क) मीयादी जमा की जमानत पर प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनिवासी खाताधारकों और तीसरी पार्टी को रूपए में ऋण प्रदान कर सकता है :-</p> <p>(i) ऋण का उपयोग केवल उधारकर्ता की वैयक्तिक आवश्यकताओं और/अथवा व्यापार प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाएगा न कि कृषि बागबानी कार्यकलापों अथवा भूमिभवन कारबार अथवा पुनः</p>

	<p>उधार देने के लिए।</p> <p>(ii) समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित मार्जिन और ब्याज दर संबंधी विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>(iii) व्यापार/ उद्योग के अग्रिमों के मामले में यथा लागू सामान्य मानदंडों और प्रतिफल तीसरी पार्टी को दिए गए ऐसे ऋण/ सुविधाओं पर लागू होंगे।</p> <p>(ख) खाताधारक के वाणिज्यिक निर्णय और ब्याज दर आदि निदेशों के अनुपालन के अधीन प्राधिकृत व्यापारी/ बैंक खाताधारक के खाते में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दें।</p>
9. खाताधारक के निवासी हैसियत में परिवर्तन	<p>(क) निवासी से अनिवासी</p> <p>जब भारत का कोई निवासी व्यक्ति रोजगार अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु अनिश्चित अवधि के लिए किसी दूसरे देश (नेपाल अथवा भूटान से इतर) में ठहरने का अपना इरादा बताते हुए भारत छोड़ता है तो उसके वर्तमान खाते को अनिवासी (सामान्य) खाते के रूप में नामित किया जाए। जब भारत का कोई निवासी व्यक्ति रोजगार अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा अन्य प्रयोजन हेतु अनिश्चित अवधि के लिए नेपाल अथवा भूटान में ठहरने का अपना इरादा बताते हुए भारत छोड़ता है तो उसका वर्तमान खाता निवासी खाता के रूप में रहेगा। ऐसे खाते को अनिवासी (सामान्य खाते के रूप में नामित न किया जाए।</p> <p>(ख) अनिवासी से निवासी</p> <p>रोजगार अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु अनिश्चित अवधि के लिए भारत लौटने पर खाता धारक के अनिवासी सामान्य खाते को निवासी रूपया खाता के रूप में पुनः नामित किया जाए। यदि खाताधारक भारत के केवल अस्थायी दौरे पर है तो खाते को ऐसे दौरे की अवधि में अनिवासी खाता समझा जाएगा।</p>

10. उधारकर्ता के निवासी हैसियत में परिवर्तन की स्थिति में ऋण/ ओवरड्राफ्ट	यदि भारत में निवास करते हुए किसी व्यक्ति ने ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट लिया था और बाद में वह भारत से बाहर का निवासी बन जाता है तो प्राधिकृत व्यापारी अपने विवेक और वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर ऋण/ ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में, ब्याज अदायगी और ऋण चुकौती संबंधित व्यक्ति के आवक प्रेषण और और भारत में उसके विधिसम्मत स्रोतों से किया जाए।
11.अनिवासी/निवासी नामिती को निधियों का भुगतान	मृत खाताधारक के अनिवासी सामान्य खाते से अनिवासी नामिती को प्राप्य/ देय राशि को नामिती के भारत में प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के पास अनिवासी सामान्य खाते में जमा किया जाएगा। मृत खाताधारक के अनिवासी खाते से निवासी नामिती को देय राशि को भारत स्थित बैंक में नामिती के निवासी खाते में जमा किया जाएगा।
12. पावर ऑफ एटर्नी द्वारा अनिवासी सामान्य खाते का परिचालन	<p>प्राधिकृत व्यापारी को अधिकार दिए गए हैं कि वे अनिवासी व्यक्तिगत खाता धारक द्वारा निवासी के पक्ष में प्रदान किए गए पावर ऑफ एटर्नी द्वारा सामान्य खाते को परिचालित करने की अनुमति दें बशर्ते ऐसे परिचालन निम्नलिखित तक सीमित हों,(i) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेशों के लिए भुगतान सहित सभी स्थानीय भुगतान रूपये में; और</p> <p>(ii) अनिवासी व्यक्तिगत खाता धारक के भारत में चालू आय के भारत से बाहर प्रेषण, लागू करों का निवल। निवासी पावर ऑफ एटर्नी धारक को न तो खाते में धारित निधियों को अनिवासी व्यक्तिगत खाता धारक से इतर को भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने की, न ही अनिवासी खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के रूप में भुगतान करने अथवा खाते से निधियां अन्य अनिवासी सामान्य खाते में अंतरण की अनुमति है।</p>

13. अध्ययन के लिए विदेश जानेवाले व्यक्ति को दी जानेवाली सुविधाएं	अध्ययन के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों को अनिवासी भारतीय समझा जाता है तथा वे अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध सभी सुविधाओं के हकदार होते हैं। भारत में निवासियों के रूप में उनके द्वारा लिए जानेवाले शैक्षणिक और अन्य ऋण फेमा विनियमों के अनुसार उपलब्ध रहेंगे।
14. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्स	प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाहर अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करें। आवक प्रेषणों अथवा कार्डधारक के एफ्सीएनआर / एनआरई/ एनआरओ खाते की शेष राशि से ऐसे लेनदेनों का निपटान किया जाए।
15. आयकर	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अक्तूबर 9, 2002 के उनके परिपत्र सं.10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा दिए गए वचनपत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी प्रेषण (लागू करों का निवल) की अनुमति देगा। [नवंबर 26, 2002 का हमारा (ए.पी.डीआआर सिरीज) परिपत्र सं.56 देखें]।

संलग्नक-1

रिजर्व को सौंपे जानेवाले विवरण/विवरणियां अनिवासी सामान्य रूपया(एनआरओ) खाता संबंधी मास्टर परिपत्र

1	अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रीयों को सुविधाएं- उदारीकरण- एनआरओ खाते से प्रेषण	तिमाही	नवंबर 16,2006 का ए.पी (डी आइआर सिरीज) परिपत्र सं. 12	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------	--

संलग्नक-2

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश अनिवासी सामान्य रूपया(एनआरओ) खाता संबंधी मास्टर परिपत्र

सामान्य	<p>प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी अधिनियम/विनियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।</p> <p>विभिन्न लेनदेनों के लिए प्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सत्यापित किए जानेवाले दस्तावेजों का निर्धारण रिजर्व नहीं करेगा।</p> <p>अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने के पहले, प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति (आवेदक), जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, से एक घोषणा और अन्य ऐसी सूचनाएं प्राप्त करें जो उसे संतुष्ट करेगा कि लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों अथवा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा अधिनियम के तहत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन अथवा अपवंचन नहीं करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन</p>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>करने से पूर्व आवेदक से प्राप्त सूचनाएं/दस्तावेजों को रिजर्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सुरक्षित रखे।</p> <p>जहां व्यक्ति, जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने से इंकार करता है अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं करता है तो, उसे लिखित रूप में लेनदेन से इंकार किया जाएगा।</p> <p>जहां प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि लेनदेन में अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन अथवा अपवंचन के इरादे से उसने इंकार किया है तो, वह रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दे।</p> <p>समान पद्धति बनाए रखने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी अपनी शाखाओं द्वारा प्राप्त किए जानेवाले मांग और दस्तावेजों का विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।</p>
बांग्ला देश/पाकिस्तान की कंपनियों द्वारा खाते खोलना	बांग्ला देश/पाकिस्तानी राष्ट्रीयता/ स्वामित्व वाले व्यक्तियों / कंपनियों द्वारा खाते खोलने के लिए भारतीय रिजर्व के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी अनुरोध मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, (विदेशी निवेश प्रभाग), भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को भेजें जाएं।
चालू आय का प्रेषण	धारक के खाते के भारत में किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि चालू आय का भारत से बाहर प्रेषण एनआरओ खाते में अनुमत नामे है। प्राधिकृत व्यापारी एनआरओ खाता न रखनेवाले अनिवासी भारतीयों के किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज जैसे चालू आय का भारत में प्रत्यावर्तन की अनुमति, सनदी लेखाकार द्वारा उचित प्रमाणपत्र कि प्रेषित की जानेवाली प्रस्तावित राशि प्रेषण के लिए पात्र है और लागू करों का भुगतान किया गया है/ उसका प्रावधान किया गया है, के आधार पर दे सकते हैं।
प्रतिबंध	(क) पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, इरा, नेपाल और भूटान के नागरिकों को अचल संपत्ति की बिक्री आय के संबंध में प्रेषण सुविधा उपलब्ध नहीं है। (ख) पाकिस्तान, बांग्ला देश, नेपाल और भूटान के नागरिकों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री आय के प्रेषण की सुविधा नहीं है।
कर अनुपालन	प्राधिकृत व्यापारी केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अक्तूबर 9, 2002 के परिपत्र सं. 10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा एक वचनपत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर ही अनिवासियों को प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

परिशिष्ट

अनिवासी सामान्य खाते
 के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए
 ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्रों की सूची:

क्रम सं.	जारी की गई ¹ अधिसूचनाएं / परिपत्र	दिनांक
1	अधिसूचना सं. फेमा 62/2002-आरबी	मई 13, 2002
2	अधिसूचना सं. फेमा 97/2003-आरबी	जुलाई 8, 2003
3	अधिसूचना सं. फेमा 119/2004-आरबी	जून 29, 2004
1	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	मई 14, 2002
2	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	जुलाई 2, 2002
3	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	जुलाई 15, 2002
4	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 19	सितंबर 12, 2002
5	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 26	सितंबर 28, 2002
6	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	सितंबर 28, 2002
7	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 56	नवंबर 26, 2002
8	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 59	दिसंबर 9, 2002
9	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 67	जनवरी 13, 2003
10	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 43	दिसंबर 8, 2003
11	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्रसं. 45	दिसंबर 8, 2003
12	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 62	जनवरी 31, 2004
13	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 43	मई 13, 2005
14	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 12	नवंबर 16, 2006
15	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 64	मई 25, 2007

नोट

- प्राधिकृतव्यापारियों की सुविधा के लिए, भारिबैं को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियों की सूची और परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत क्रमशः संलग्नक - 1 और 2 में दिए गए हैं।
 - सभी उपयोगकर्ताओं की सूचना के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक नहीं है कि मास्टर परिपत्र सुविस्तृत ही हों और जहां कहीं आवश्यक हो, अधिक सूचना/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र का संदर्भ देखें।
-